

ORDER-SHEET

***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal***

Case No. L0032813

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
23.12.13	<p style="text-align: center;">विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के शिकायत क्र 91/13 छोटेलाल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.05.13 के संदर्भ में उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन जरिये डाक प्रेषित किया था। अभ्यावेदन प्रेषित करने के बाद कभी भी उपभोक्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।</p> <p style="text-align: center;">उपभोक्ता ने यह राहत चाही है कि कार्यपालन यंत्री मैहर के पत्र दिनांक 08.03.13 एवं निर्धारण आदेश 25.02.13 पर विचार कर निर्णय दिया जाये। बिल संशोधित कर सरचार्ज रहित बिल भुगतान हेतु दिया जाये। नये मीटर में आये खपत को आधार मानकर बिल पुनरीक्षित किया जाये।</p> <p style="text-align: center;">फोरम की आदेश की कंडिका 4 के उपखण्ड 2 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम द्वारा उपभोक्ता की इस शिकायत का निराकरण किया जा चुका है तथा विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित अधिकारी कार्यपालन यंत्री के पत्र दिनांक 08.03.13 के द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के संदर्भ में उसके बिल को पुनरीक्षित किये जाने का आदेश दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की शिकायत के संदर्भ में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उसका अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। प्रकरण पंजी से निरस्त हो। आदेश की प्रति नियमानुसार पक्षकारों को प्रेषित किया जाये।</p> <p style="text-align: right;">विद्युत लोकपाल</p>	

